यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड- प्रथम ,आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड- प्रथम ,आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण वरि. लेखापरीक्षक, श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.08.2018 से 10.09.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के.श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षक अधिकारी एवं श्री विजय कुमार मौर्य, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.02.2017 से 04.03.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2011 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः नैनीताल रोड, रेलवे बाजार, पटेल चौक, महावीर गंज, सुभाष नगर, आवास -विकास, किदवई नगर तक**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1284.15
2016-17	920.35
2017-18	555.08(VAT)

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना	आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
2015-16			524.50	464.60			59.90
2016-17			566.41	510.66			55.75
2017-18			664.79	626.90			37.89

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड- प्रथम ,आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्वः - 10/2016, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्ययः - 01/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2 "ब"

प्रस्तर. 1 समाधान राशि के कम निर्धारण के कारण राजस्व क्षति ₹1.02 लाख।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–330/2012/14 (120)/ XXVII (8)/06दिनॉक 17 अप्रैल 2012 के पैरा (4) (क)के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के पॉच प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया गया हो, उसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि के चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी। वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–627/2012/14(12)/ XXVII (8)/06 दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगें उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अत; आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे।

कार्यालय सहायक आयुक्त(क0नि0)–प्रथम **राज्य कर, हल्द्वानी** के माह 04/2016 से माह 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री संजय कन्सट्रक्शन कोहली गार्डन ,भोटिया पडाव हल्द्वानी विभाग में सविल संविदाकार के रुप में पंजीकृत है। **व्यापारी** के संव्यवहार वर्ष 2013–14 की पत्रावली के अनुसार संगत वर्ष में कुल भुगतान **₹** 42,24,323.00 पर दो प्रतिशत की दर से समाधान की धनराशि **₹** 84,486.00 निर्धारित की गयी थी।

चूँकि अभिलेखानुसार संविदा की **तिथि** 14.03.2013 थी, जिसे प्रपत्र–8 में भी अंकित किया गया है। अत; उपरोक्त प्रावधान के आलोक में संविदाकार को प्राप्त भुगतान ₹ 42,24,323.00 पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 1,68,973.00 (4224323X4%) समाधान राशि निर्धारित की जानी थी। इस प्रकार **₹** 84487.00 (168973–84486) कम समाधान राशि का निर्धारण किया गया। चूँकि व्यौहारी को **₹** 82944.00 की वापसी कर दी गयी थी। अतएव **₹** 84487.00 (168973–84486) अधिक धनराशि की वापसी कर दी गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में **लेखापरीक्षा द्वारा** इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि उक्त संविदाकार द्वारा दो प्रतिशत का विकल्प अपनाया गया है, जो कि शासनादेश संख्या 380/2013/02(120)/xxvii(8) 2013 दिनॉक 28.03.2013 के अनुरुप **है।**

सम्प्रेक्षा को विभागीय उत्तर इस आधार पर अमान्य है, क्योंकि उक्त शासनादेश अविभाजित सिविल सकर्म संविदा दिनॉक 01.04.2013 से 31.03.2015 की अवधि के लिये प्रावधानित थी, जबकि **उल्लिखित** संविदा वर्ष 2012–2013 से सम्बन्धित है, जिस पर वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–330/2012/14 (120)/ XXVII (8)06 दिनॉक 17 अप्रैल 2012 तथा वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–627/2012/14(12)/ XXVII (8)06 दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि निर्धारण का प्रावधान किया गया था।

2. कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि)-प्रथम राज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि सर्व श्री सुरेश सिंह ठेकेदार, हल्द्वानी टिन संख्या 05001408950 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे संविदी विभाग से प्राप्त कुल भुगतान `1,14,42,540 घोषित किया था जिस पर संविदी विभाग द्वारा `₹ 3,38,002 का टी डी एस काटा गया था। जिसमे संविदाकार को वर्ष 2012-13 मे हुये अनुबंध के सापेक्ष ` ₹3,73,396 की धनराशि प्राप्त हुई है। धारा 7 (2) के अंतर्गत समाधान राशि के निर्धारण के समय उक्त धनराशि पर भी 2 प्रतिशत की दर से समाधान कर निर्धारित किया गया था। जबकि 2012-13 के अनुबन्धो के सापेक्ष प्राप्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना होगी। अंतरीय समाधान राशि 2 प्रतिशत ₹ 7,463 (₹ 3,73,396 x 2 %) संविदाकार पर और आरोपणीय था। उल्लेखनीय है कि संगत वर्ष मे संविदाकार को धनराशि ₹1,09,151 वापस किया गया था। अतः अंतर की समाधान राशि ₹ 7,463 संविदाकार से वसूली योग्य थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि भ्रमवश लेखापरीक्षा द्वारा दिनॉक 02.12.13, 06.12.13, एवं 09.12.13 को वित्तीय वर्ष 2012–13 समझ लिया गया।
विभाग का उत्तर अमान्य है, क्योकि लेखा परीक्षा द्वारा संविदा की उक्त तिथियों को नही लिया गया वरन दिनॉक 21.03.13 की संविदा को आपत्ति में शामिल किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा PWD हल्द्वानी के द्वारा दिये गए फॉर्म-08 के विवरण के अनुसार संविदा संख्या 145/ EE Dt. 16.07.14 एवं 216/AE dt. 16.07.14 वर्ष 2014-15 के TDS ₹14,057 का लाभ संविदाकार को दिया गया, इसका लाभ वर्ष 2014–15 में दिया जाना था जबकि इसे वर्ष 2013–14 में दिया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि जिस संविदा सं0 145/EE 16.07.14 एवं 216/EE date 16-7-14 का जिक्र है यह लिपिकीय त्रुटि है। साक्ष्य स्वरुप सहायक आयुक्त कार्यालय के धारा 35(1) पत्र संख्या 671 दिनॉक 27.07.13 तथा पत्र संख्या 1275 दिनॉक 05.02.14 के अन्तर्गत टी0डी0एस0 काटने के आदेश की प्रति संलग्न किये गये।

संविदा संख्या 145/ EE Dt. 16.07.14 क`सम्बन्ध में दिया गया उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य है, किन्तु संविदा संख्या 216/AE dt. 16.07.14 संविदा की धनराशि ₹ 108592.00 .के सम्बन्ध दिया गया विभाग का उत्तर इसलिये अमान्य है,क्योंकि विभाग द्वारा साक्ष्य के रुप में उल्लिखित एवं संलग्न पत्र सं01295 दिनॉक 05.02.14 में संविदा सं0 व धनराशि भिन्न है। अत; ₹ 6516.00 का लाभ दिया जाना नियमसंगत नही पाया गया।

3- संविदाकार सर्व श्री गणपति इंटर प्राइजेज़ हल्द्वानी टिन सं0 05001282850 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मैं संविदी विभाग से प्राप्त कुल भुगतान ` 96,84,062 घोषित किया था जिस

पर संविदी विभाग द्वारा ₹ 3,01,963 का टी डी एस काटा गया था। जिसमे संविदाकार को वर्ष 2012-13 मे हुये अनुबंध के सापेक्ष ₹ 35,55,940 की धनराशि प्राप्त हुई है। जबकि धारा 7 (2) के अंतर्गत समाधान राशि के निर्धारण के समय ₹ 33,30,745 की धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से समाधान कर निर्धारित किया गया है । अतः अंतरीय धनराशि पर समाधान निम्नानुसार निर्धारित होगा।

अनुबंध वर्ष	धनराशि	दर (% मे)	समाधान राशि
2012-13	35,55,940	4	1,42,237
2013-14	61,28,122	2	1,22,562
		योग	2,64,799

कर निर्धारण आदेश के अनुसार समाधान राशि ₹ 2,60,296 निर्धारित है। अतः अंतरीय समाधान राशि ₹ 4,503 (₹ 2,64,799 - ₹ 2,60,296) संविदाकार पर और आरोपणीय था। उल्लेखनीय है कि संविदाकार को ₹ 41,667 कि धनराशि वापस की गयी है। अतः समाधान धनराशि ₹ 4,503 संविदाकार से वसूली योग्य है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा **द्वारा** इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में हुये **अनुबन्ध** पर 4 प्रतिशत की दर से समाधान कर का निर्धारण किया गया है। उक्त वर्ष में विभिन्न संविदाओं पर कुल ₹ 33,30,745.00 का जिक्र किया गया है, परन्तु गणना ₹ 35,55,940.00 पर दिखायी गयी है।

विभाग द्वारा अपने उत्तर में वर्ष 2012–13 में समाधान राशि की दर 4 प्रतिशत स्वीकार की गयी, किन्तु धनराशि के अन्तर पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया।धनराशि के अन्तर के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा **स्पष्ट** किया गया कि ₹ 33,30,745.00विभाग द्वारा दिनॉक 25.03.17 को किये गये धारा 7(2) के अन्तर्गत किये गये आदेश के अनुसार उल्लिखित किये गये,किन्तु कुल भुगतान ₹ 35,55,940.00 का किया गया,जिस पर अन्तरीय धनराशि पर **₹** 4503.00 अधिक वापस किया गया।

अत; ₹ 1,02,969.00(84487+ 7,463+.6516 +4503) अधिक वापसी का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–2 "ब"

प्रस्तर.2 – आई टी सी रिवर्स न किये जाने एवं कर के न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 2.28 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख((ii) अनुसूची III में उत्तराखण्ड शासन के नोटिफिकेशन सं0 478/ 2012/ 10 (120)/ XXVII) 8 (2012 दिनांक 30.05.2012 के अनुसार "लकड़ी और सभी प्रकार की लकड़ी किन्तु उनके उत्पाद एवं जलौनी लकड़ी को छोड़कर "शामिल किया गया है। जिसमें विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल के सम्बन्ध में विनिर्माता या आयात कर्ता के द्वारा विक्रय के बिन्दु पर कर देय होगा। इस अधिनियम की धारा 06 की उपधारा 8 (ड़ (के अनुसार अनुसूची III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल पर आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि)-खंड-1, राज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री निसान टिंबर हल्द्वानी, टिन 05001354436 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 मे ₹ 13,83,957 की टिंबर का क्रय (प्रांतीय) किया गया जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से आई टी सी का दावा किया गया। दिनांक 30.05.2012 से टिंबर अनुसूची-III मे शामिल कर लिया गया। व्यापारी के पास 13.5 प्रतिशत की टिंबर ₹13,58,270 का अवशेष था। उक्त धनराशि पर देय आई टी सी ₹ 1,83,366 (₹1358270 x 13.5 प्रतिशत) रिवर्स योग्य थी जिसे रिवर्स नहीं किया गया है। केंद्रीय खरीद ₹ 14,88,596 को कर निर्धारण आदेश मे शामिल नहीं किया गया था एवं कर निर्धारण आदेश मे टिंबर का आरम्भिक स्टॉक 13.5% ₹12,92,500 अंकित था। जबकि ट्रेडिंग एकाउंट के अनुसार ₹ 2,92,500 था।

उक्त के अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री रियायती दर पर फार्म सी के सापेक्ष ₹ 10,16,551 की गयी है। जिसके समर्थन मे 09 फार्म-सी की प्रति दाखिल किया गया। उक्त फार्मो मे 03 फार्म धनराशि ₹ 2,94,127 पर व्यापारी का नाम विक्रेता व्यापारी के कॉलम मे नहीं लिखा था। अतः उक्त बिक्री पर अंतरीय कर ₹ 33,824 (2,94,127 X 11.5%) व्यापारी पर आरोपणीय है।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में भी केंद्रीय बिक्री रियायती दर पर फार्म सी के सापेक्ष ₹` 12,28,689 की गयी है। जिसके समर्थन मे 08 फार्म-सी की प्रति दाखिल किया गया। उक्त फार्मो मे 01 फार्म धनराशि ₹ 80,116 पर व्यापारी का नाम विक्रेता व्यापारी के कालम मे नहीं लिखा था। अतः उक्त बिक्री पर अंतरीय कर ₹10415 (15 – 2 = X 13 प्रतिशत) व्यापारी पर आरोपणीय था।

अतः ₹ 227605 (183366 + 33824 + 0415) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-3 कर का न्यूनारोपण ` 0.30 लाख एवं ब्याज का अनारोपण ` 0.20 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)ख(i)(ई) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में करदेयता 13.5% निर्धारित की गयी है ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-प्रथम, राज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री मदनलाल बृजलाल, रेलवे बाजार, हल्द्वानी (टिन नं0 05010972568) कर निर्धारण वर्ष 2013-14 की पत्रावली में क्रय पंजिका/विक्रय पंजिका एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2017 के अनुसार व्यापारी द्वारा ` 3,48,007 की प्लास्टिक रद्दी पत्ती खरीद कर आयरन शीट, एच/एच डब्ल्यू, वायर आदि की बिक्री में शामिल कर 5% की दर से बिक्री की गई है । जबकि विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश में प्लास्टिक स्क्रैप की बिक्रीत मात्रा को स्पष्ट नहीं किया गया है । प्लास्टिक रद्दी पत्ती किसी भी अनुसूची में सम्मिलित न होने के कारण अवर्गीकृत के रूप में 13.5% की दर से करदेयता है ।

अतः ` 3,48,007 की प्लास्टिक रद्दी पत्ती की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5% (13.5% - 5%) की दर से ` 29,580 (अर्थात् ` 3,48,007 का 8.5%) कर आरोपणीय है जिसे आरोपित नहीं किया गया है ।

साथ ही उपरोक्त धनराशि ₹29,580 पर दिनां 01.10.2013 से 31.03.2018 तक (कर निर्धारण वर्ष 2013-14) अर्थात् 54 माह का 15% वार्षिक की दर से ₹19,966 ब्याज बनता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

अतः कर का न्यूनारोपण ₹ 29,580 एवं ब्याज ₹19,966 के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2 'ब'</u>

प्रस्तर- 4 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ ` 1.15 लाख एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 3.46 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) के अनुसार, इनपुट टैक्स का लाभ, जो कर अवधि के दौरान, कर की वह धनराशि होगी, जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, जैसा कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है ऐसे प्रयोजन हेतु एवं ऐसी शर्तों के अधीन रहते क्रय के क्रयधन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता को भुगतान किया गया और जिसके कारण ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाये ।

पुनः इस अधिनियम की धारा 58 (1) (xi) के अनुसार, इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा किया जाता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पांच हजार रूपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड देय होगा ।

[1] कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-प्रथम, राज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री के0 सन्स, गुरूनानक मार्केट, हल्द्वानी (टिन नं0 05001315151) कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के Purchase UA @13.5% रजिस्टर तथा Purchase UA @5% रजिस्टर के अनुसार **<u>संलग्न विवरण-"क"</u>** में उल्लिखित अपंजीकृत व्यापारियों से क्रमशः ` 30,773 एवं ` 12,631 की खरीद पर ` 4,786 आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ लिया गया है । इस पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा 58(1)(xi) के अनुसार ` 14,358 अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

[2] अन्य व्यापारी सर्वश्री लखनऊ चिकेन इम्पोरियम, रेलवे बाजार, हल्द्वानी (टिन नं0 05001328343) कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा वर्ष 2014-15 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में **<u>संलग्न विवरण-"ख"</u>** में उल्लिखित धनराशि ` 22,10,182 के क्रय पर स्वयं के टिन नं0 एवं नाम अंकित कर ` 1,10,507 की अनियमित आई0टी0सी0 क्लेम किया गया है । इस पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xi) के अनुसार ` 3,31,521 (` 1,10,507 का 3 गुना) अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है ।

अतः इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ ` 1,15,293 एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 3,45,879 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्न विवरण-"क"

Date	Particulars	Vch. No.	TIN/Sale Tax No.	Gross Total (`)	Purchase UA @13.5% (`)	Purchase UA @5% (`)	Irregu ITC claime (`)
24.11.2013	M/s Bobby Kantewala	Inv. No. 1664/21.11	-	5,000	4,405		5
12.12.2013	M/s Sarvesh Chemicals & Equipment, Haldwani	Inv. No. 012	-	14,528	12,800		1,7
17.12.2013	M/s Bobby Kantewala	Inv. No. 1662/12.11	-	11,000	9,692		1,3
20.01.2014	M/s Dhanni Prem Builder, Haldwani	Inv. No. 889	-	4,400	3,876		5
06.11.2013	M/s Gulati Traders, Rudrapur	Inv. No. 4427/2.11	-	13,262		12,631	6
				Total	**30,773**	**12,631**	**4,7**

संलग्न विवरण-"ख"

M/s Lucknow Chicken Emporium, Railway Bazar, Haldwani (TIN No. 05001328343)

(2014-15)

Sl. No.	TIN No. of Regd. Selling Dealer	Firm Name of Regd. Selling Dealer	Invoice No.	Date of Invoice	Sale value before tax (`)	Tax Rate	Irregula claime
Period : Q1 (Apr. to June)							
1.	05001328343	M/s Lucknow Chicken Emporium	K-47	19/04/2014	57,560	5	2

2.	- do -	- do -	D-038	19/04/2014	34,486	5	1
3.	- do -	- do -	TO-014	26/04/2014	51,329	5	2
4.	- do -	- do -	K-63	29/04/2014	18,726	5	
5.	- do -	- do -	D-006	04/04/2014	22,577	5	1
6.	- do -	- do -	K-82	08/05/2014	26,823	5	1
7.	- do -	- do -	K-95	19/05/2014	27,304	5	1
8.	- do -	- do -	K-126	29/05/2014	11,113	5	
9.	- do -	- do -	TO-018	30/05/2014	25,345	5	1
10.	- do -	- do -	K-132	21/06/2014	25,311	5	1
11.	- do -	- do -	K-28	11/04/2014	99,888	5	4
12.	- do -	- do -	D-035	11/04/2014	34,251	5	1
Period : Q2 (July to Sep.)							
13.	- do -	- do -	D-074	01/09/2014	6,24,183	5	31
14.	- do -	- do -	D-112	09/09/2014	1,54,243	5	7
15.	- do -	- do -	K-200	10/09/2014	1,14,566	5	5
16.	- do -	- do -	K-207	19/09/2014	65,174	5	3
17.	- do -	- do -	K-218	23/09/2014	39,862	5	1
18.	- do -	- do -	K-148	16/07/2014	33,138	5	1
19.	- do -	- do -	K-158	12/08/2014	35,742	5	1
20.	- do -	- do -	TO-020	12/08/2014	1,51,081	5	7
Period : Q3 (Oct. to Dec.)							
21.	- do -	- do -	D-128	01/10/2014	1,29,207	5	6
22.	- do -	- do -	K-281	20/10/2014	32,174	5	1

23.	- do -	- do -	K-306	31/10/2014	17,014	5	
24.	- do -	- do -	K-320	15/11/2014	23,322	5	1
25.	- do -	- do -	K-330	02/12/2014	1,15,389	5	5
26.	- do -	- do -	K-240	07/10/2014	62,708	5	3
27.	- do -	- do -	D-161	10/10/2014	1,53,309	5	7
28.	- do -	- do -	K-264	14/10/2014	24,357	5	1
				Total	**22,10,182**		**1,10**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
18/2008-09	2,3,(2)	1,2,3,4,5(5)	
39/2009-10	1,2,(2)	1 (1)	
50/2011-12	-	1,2,3,4, (4)	
48/2016-17	-	03 (1)	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड- प्रथम ,आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
   (1) 2011-12 की रिफण्ड पंजिका
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	डा. रिंकन सिंह	सहा. आयुक्त (24.08.16 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड- प्रथम ,आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र